09/12/21

15/12/21 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उपस्थित। [illegible] अधिकारी अवकाश पर है। अग्रिम कार्यवाही [illegible] है। पत्रावली मान्य आदेशानुसार दिनांक 12/1/22 को पेश हो।

12/1/22

23/2/22 पत्रावली पेश हुई। सरकारी पैरोकार अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 12/5/21 को नोटिस जारी की गयी थी। काफी समय व्यतीत होने के बाद भी आरोपित न तो नोटिस सम्मन सहमे तामील होकर प्राप्त हुए हैं न ही आरक्षक नाकिल प्राप्त हुए हैं वादिनी हिदायत दी जाती है कि वह आगामी तारीख पे यदि [illegible] A.D नहीं/तलाश पुनः पेश करे। पत्रावली दिनांक 4/3/22 को पेश हो।

4/3/22 — पत्रावली पेश हुई। सरकारी पैरोकार उपस्थित। पत्रावली के मध्यवर्ती मूल वाद में 09 R5 CPC के प्रावधानों के तहत दायर नामील पार्टी का वाद स्थगित होने के फलस्वरूप पार्टी का पद प्रतिवादी होने पर मूल वाद के साथ इसी स्तर पर स्थगित किया जाता है। पत्रावली फौरन कुमार होलदार नामक व्यक्ति से एक वाद नामील मूल वाद के पश्चात सुनवाई किया जाना हो।

04.03.22